नर्मदा बांध संबंधी ज्ञापन

3488. श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: क्या जल-संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के द्वारा हाल ही में प्रधान मंत्री को नर्मदा बांध संबंधी ज्ञापन दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कथित ज्ञापन की मुख्य विशेषताओं के साथ सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस संबंध में गुजरात के लोगों के द्वारा राजधानी में कोई रैली आयोजित की गयी थी;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या माननीय प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्य मंत्री को यह आश्वासन दिया है कि केन्द्रीय सरकार के साथ-साथ वे भी गुजरात सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के पक्ष में हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) जी, हां।

(ख) उक्त ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:—

सुनवाई और निर्णय की प्रक्रिया तीव्र करने तथा उसके लिए लगातार कार्यक्रम की तारीखें निश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाये।

मामले में अंन्तिम निर्णय लेने के लिए वर्तमान पीठ के स्थान पर सर्वोच्च न्यायायलय में बड़ी पूर्ण पीठ शीघ्र स्थापित की जाये।

इस मामले में आने वाले सभी याचिका/मामलों को एक साथ उठाया जाये।

पहले चरण में सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाकर 436 फीट कर दी जाये और इसके लिए स्थगन आदेश शीघ्र रद्द कर दिया जाये। मानव अधिकारों का मामला न केवल परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों पर बल्कि शुष्क/सूखा प्रवण क्षेत्रों में जल से पीड़ित लोगों पर भी लागू होता है।

भारत सरकार नर्मदा जल विवाद अधिकरण पंचाट के प्रावधानों के अनुसार परियोजना का कार्यान्वयन करने के लिए है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) मामला निर्णयाधीन है।

Irrigation Scheme for Small and Marginal Farmers

3489. SHRI MOHINDAR SINGH KALYAN:
SHRI ISH DUTT YADAV:
SHRI NAGMANI:
SHRI GOPALSINH G. SOLANKI:

Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government propose to formulate new irrigation schemes for the small and marginal farmers in the country;

(b) if so, the State-wise details thereof;

(c) the steps taken to implement the aforesaid scheme; and

(d) the fund allocated for 1997-98 by Government, State-wise?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) A new Centrally Sponsored Scheme namely Ganga Kalyan Yojana has been launched by the Ministry of Rural Areas and Employment in all the districts of the country with effect from 1.2.1997. During 1996-97, the scheme was operated as a sub-scheme under IRDP. From the beginning of the financial year of 1997-98, this scheme has been made an independent scheme with separate budgetary allocation. Under this scheme, central assistance will be given to the States on 80:20 basis to provide irrigation through exploitation of Ground water (borewells and tubewells) to individuals and groups of beneficiaries belonging to small and marginal farmers living below the poverty line other than those who have already been assisted under any minor irrigation programme of the State or Central Government. The amount is